(300)

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निगरानी प्र.क्र. निगरानी – 3826/2018/छतरपुर/भू.रा.

अशफाक अहमद तनय स्व. नूर मोहम्मद आयु 47 साल

निवासी सबनीगर मोहल्ला छतरपुर तह. व जिला छतरपुर म.प्र.--- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार, तह. व जिला छतरपुर म.प्र.--- अनावेदक

विषय :- निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर (म.प्र.) के प्र.क्र. 35/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 16/4/18 से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

आज दि. 23/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 29-6-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

23/6/18

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता सादर निम्न विनय करता है :-

निगरानी के तथ्य

===================

यह कि पुनरीक्षणकर्ता अशफाक तनय स्व. नूर मोहम्मद निवासी सबनीगर मोहल्ला छतरपुर की मौजा छतरपुर की भूमि खसरा नम्बर 1352/1/क रकबा 0.216 हेक्टर में से 0.093 हेक्टर के सीमांकन बावत आवेदन राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उक्त भूमि की सीमाओं का ज्ञान नहीं है तथा उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में उसका नाम शामिल में अंकित है, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा आवेदन के साथ सीमांकन शुल्क का चालान व नक्शा ट्रेस व खसरा की प्रतियां संलग्न की हैं, बाद भूमि सीमांकन तिथि सूचना हल्का पटवारी द्वारा सरहद्दी काश्तकारो को जारी की गई और निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 12/4/18 को पटवारी हल्का एवं उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष मौके की स्थिति के अनुसार नजरीनक्शा तैयार किया गया, खसरा नम्बर 1352 में मौके पर पक्का कुआं है उसी से लगी हुई भूमि 2000 वर्ग फुट खाली है तथा इसी भूमि खसरा नम्बर 1352 मकान के रहने वालों की रास्ता बनी है तथा यह पाया गया कि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के रकबा के नक्शा में तरमीम अंकित नहीं हैं परन्तु मा... अनापत्तिकर्ता शा... तनय स्व. गोवरधन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3826/2018/छतरपुर/भू.रा.

अशफाक अहमद विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों हस्ताक्षर
18—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल, जिला—छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 35/अ—12/2017—18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16—04—2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 13—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	